

सम्पादकीय

लोकतंत्र का प्रहसन

जनता के हातों का कानून पर लाने पुढ़वाने का कारोबार न का जा सका। उल्लेखनीय है कि जब संसद में चुनावी बॉन्ड के प्रावधान को कानून का रूप देने का प्रयास किया जा रहा था तो तत्कालीन वित्तमंत्री की दिलील थी कि इस कानून के अस्तित्व में आने से जहां चुनाव के लिये बंदा जुटाने में पारदर्शिता आएगी, वहीं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन एजी के बयान से तो कम से कम वह मंशा जाहिर नहीं रही है। चिपांडे उत्तरांश के पाता होने वालिए कि किस गांवमें किसी

हाता ह। नरसंदर्भ जनता का पता हाना चाहए कि किस राजनीतिक दल ने किस कॉर्पेरेट घराने से कितना चंदा लिया है। इसमें दो राय नहीं कि कॉर्पेरेट घराने भी सत्ता की हवा भांपकर उसी अनुरूप चंदा देते हैं। एक तरह से यह उनका आर्थिक निवेश ही होता है, ताकि कालांतर लोकतंत्र में पूँजीतंत्र का पोषण हो सके। यहां उल्लेखनीय है कि चुनावी मॉन्ड को लेकर कानूनी प्रावधान है कि चंदा देने वाला व्यक्ति डिजिटल ऐमेंट करके एसबीआई के बॉन्ड खरीदता है। कानून के अनुसार राजनीतिक दल व बैंक चंदा देने वाले का नाम उजागर करने के लिये आध्य नहीं हैं। इसकी वजह से केंद्र सरकार की वित्तीय नियामक नंस्थाओं को पता होता है कि कहां से चंदा आया। जिसके चलते सरकार तो जान सकती है कि विपक्षी दल के पास चंदा किस स्रोत से आया है, लेकिन विपक्ष यह नहीं जान सकता कि सरकार को कितना चंदा मिला है और किससे मिला है। जाहिर है इसका लाभ सत्तारूढ़ दल को मिलता है। साथ ही चंदे की ज्यादा मात्रा भी उसके खजाने में आती है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल को कुल चंदे का दो तिहाई हिस्सा मिला है। कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी झलकती है। बहरहाल, लोकतंत्र की शुचिता इस गत पर निर्भर करती है कि किस तरह संसाधनों से चुनावी प्रक्रिया संतप्त हुई है। जाहिरा तौर पर नियम विरुद्ध और अपवित्र स्रोत से अर्जित धन कालांतर लोकतंत्र की पवित्रता पर आंच ही लाएगा। नेश्चित रूप से जनता की जागरूकता व न्यायिक सक्रियता ही चुनावी घंटे के धंधे में पारदर्शिता लाने में सक्षम हो सकती है।

सुराक्षित यात्रा को जवाबदेहो

हमारो रेल जेसे हादसों का एक सिलासिला बनतो जा रही है। एक महीने में दूसरी सबसे बड़ी रेल दुर्घटना होगी और चार महीने में कुल तीनदूरीन तो क्या कहा जाएगा। रविवार की रात आधं प्रदेश में दो ट्रेनों की टक्कर और उसमें १४ यात्रियों के मरने और ५० से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। इसके पहलों दो जून को बालासोर में तीन ट्रेनों की भिड़ंघत में सबसे अद्यात २६६ यात्री मरे थे और १२०० घायल हुए थे। ११ अक्टूबर को बक्सर में ५ यात्रियों की दूरीबाद में इलाज के दौरान एक महिला की दूरीमौत हो गई थी तथा १०० घायल हुए थे। और अब विजयवाड़ा की टक्कर में चार महीने में जानमाल की दूसरी बड़ी क्षति हुई है। इससे भारतीय रेलवे और इसे देख रहे मंत्री अश्विन वैष्णव समेत पूरी नरेन्द्र मोदी सरकार जनता के निशाने पर आ गई है। घटनाक्रमों को देखे तो रेलवे औसतन हर महीने किसी दूनदृ किसी हादसों का शिकार रहा है दूलती ट्रेन में आगली हाँ पटरी से उत्तरनों कुचल कर मरने और सिगनल पार करने से हुई टक्कर की घटनाएं। इनसे लगता है कि रेलवे में कमांड और कार्यप्रणाली में सतर्कता और जवाबदेही को लेकर एक आपराधिक शिथिलता है। इसमें सुधार प्रणाली गैरहाजिर लगती है। उसकी ओर किसी का ध्यान जाता नहीं दिख रहा है। दुर्घटनाएं जिनमें मानवीय क्षति न भी हो ऊसकी बारम्बारता यही जाहिर करती है। विजयवाड़ा में लोको पायलट के सिगनल को ओवर शूट कर जाने यानी उसे पार कर जाने को वजह बताई जा रही है। बालासोर इसका भयंकर दुष्प्रणाम है। इसके बाद २५ जून को एक मालगाड़ी सिगनल पार टकरा जाती है। इतनी धोर लापरवाही। यह ठीक है कि रेलयात्रियों में प्रतिदिन ४० हजार के इजाफे के साथ रेलवे पर प्रतिदिन १०५३७ ट्रेनें और ७३३२ मालगाड़ियां के परिचालन का दबाव है। किर कम घंटों में ज्यादा दूरी तय करने के लिए नई रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। रेलदृपरिषथ से लेकर छिड़ियों तक का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। पर इसके साथ सफर को सुरक्षित बनाना उतना ही बेहद जरूरी है। इसकी नैतिक जवाबदेही रेलवे की है। इसी आधार पर इस्तीफा देने का लालबहादुर शास्त्री से शुरू हुए रिवाज का अंतिम उदाहरण नीतीश कुमार ही है। अब यह दकियानूसी बात हो गई है। पर जबाबदेही की बात हमेशा ताजा रहेगी।

तीर्थ : ओशो

तीथ है वहां जाएगा कोई वह मुक्त होकर लौटेगा। तो स्मृति से मुक्त होगों स्मृति ही तो बंधन है। वह स्वप्न जो आपने देखा आपका पीछा कर रहा है। असली सवाल वही हौं और निश्चित ही उससे छुटकारा हो सकता हौं लेकिन उस छुटकारे में दो बातें जरूरी हैं। बड़ी बात तो यह जरूरी है कि आपकी ऐसी निष्ठा हो कि मुक्ति हो जाएगी। और आपकी निष्ठा कैसे होगी आपकी निष्ठा तभी होगी जब आपको ऐसा खयाल हो कि लाखों वर्ष से ऐसा वहां होता रहा है। और कोई उपाय नहीं है। इसलिए कुछ तीर्थ तो बिल्कुल सनातन हैं दूजेसे काशी वह सनातन है। सच बात यह हैं पृथ्वी पर कोई ऐसा समय नहीं रहा जब काशी तीर्थ नहीं थी। वह एक अर्थ में सनातन हैं बिल्कुल सनातन है। यह आदमी का पुराने से पुराना तीर्थ है। उसका मूल्य बढ़ जाता हैं क्योंकि उतनी बड़ी धाराँ सजेशन है। वहां कितने लोग मुक्त हुराँ वहां कितने लोग शांत हुए हैं वहां कितने लोगों ने पवित्रता को अनुभव किया हैं वहां कितने लोगों के पाप झँडई गए दृवह एक लंबी धारा है। वह सुझाव गहरा होता चला जाता हैं वह सरल चित्त में ज्ञाकर निष्ठा बन जाएगी। वह निष्ठा बन जाए तो तीर्थ कारगर हो जाता इसाले आरक्षण का गरबा दूर करने का हथियार नहीं समझा गया था। बाद में वोट बैंक की राजनीति के चलते आरक्षण ऐसा अमृत का प्याला हो गया जिसे छूकर हर जाति अपनी समस्याओं को दूर करना चाहती है। इस देश ने आरक्षण आंदोलन के हिंसक दौर को एक बार नहीं कई बार देखा है। आरक्षण की आग में समाज पहले भी कई बार झुलस चुका है। चाहे वह हरियाणा के जाटों का आंदोलन हो, गुजरात में पटेल समुदाय का आंदोलन हो, राजस्थान के गुर्जर समुदाय का आंदोलन हो, आंध्र प्रदेश के कापू समुदाय का आंदोलन हो। आंदोलन

विपक्षी नेताओं की फोन टैपिंग

जिम्मेदार नहीं ठहरा रही है। अलबत्ता उसका कहना है कि शरेसे हैकर्स वित्तीय रूप से बहुत अच्छे से पोषित और परिष्कृत हैं। कम्पनी के अनुसार ऐसे हमलों का पता लगाना कुछ गुप्त संकेतों पर निर्भर करता है जो प्रायोजित हमलावर भविष्य में और सावधान होकर काम करेंगे। इस जानकारी के सार्वजनिक होने से हड्डकम्प मच गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी

A decorative horizontal bar at the bottom of the page featuring four stylized leaves or petals in green, red, yellow, and blue, arranged from left to right.



सदस्य शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा, आम आदमी पार्टी के सांसद राधव चड्हा, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी आदि ने भी ऐसी ही चेतावनी मिलने की पुष्टि की है। कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किये हैं जिसके बाद शक की गुंजाई नहीं रह जाती है कि यह काम केन्द्र सरकार की दिखाते हुए राहुल ने यह भी कहा कि देश में मोदी के भी ऊपर अदानी हैं। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से इस बात की घोषणा कर दी कि चाहे जो हो जाये, वे अदानी-मोदी के कथित घोटालों को उठाते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पहले भी भारत सरकार पर यह आरोप लग चुका है कि उसने इजरायल से पैगासस और सरकार को चाहिये कि इस बात की गहराई से और पारदर्शितापूर्वक जांच कर इसकी रिपोर्ट जनता के सामने लाए। हालांकि इसकी मोदी सरकार से इसकी उम्मीद करना बेकार है। सम्भव है कि सरकार इस पर मौन धारण कर ले और आतंक फैलाने हेतु यह भ्रम बनाकर रखे कि विपक्षियों के फोन टैप हो रहे हैं।

Digitized by srujanika@gmail.com


धार्मिक कटूरता और आतंकवाद लोकतंत्र के लिए विनाशकारी

संजाव ठाकुर
भारत विश्व

परता परवेप को रखता पड़ा
क्रियात्मक देश हैस स्वतंत्रता के
द से भारत के संविधान में लोकतंत्र
सर्वोपरि स्थान दिया गया हैस
श की भौगोलिक तथा
नसंख्यात्मक विशालता में कुछ तत्त्व
प्रदायिक हिसा एवं अराजकता के
रिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो
करते हैं, पर भारतीय लोकतंत्र की
जानता एवं विशालता है कि इससे
विधानिक भारतीय लोकतंत्र को बहुत
आदा फर्क नहीं पड़ता, पर यह तय
कि सांप्रदायिक हिसा एवं धार्मिक
इररता से लोकतंत्र की अवधारणा
ड़ी दिग्भ्रमित जरूर होती है पर
की मजबूती ना तो पहले कम
होती है और जो भविष्य में तोने की

प्राताक्रिया हो सकता है, आर आम जनमानस का किसी मुद्दे पर आप सहमत होना भी एक सामान्य बात हो सकती है पर किन्हीं भी परिस्थितियों में असहमति हिंसा के रूप में कर्तव्य बर्दाशत के योग्य नहीं होनी चाहिए, विरोध का स्वरूप राष्ट्रीय कर रहा है। आज जातिगत संघर्ष बढ़ गए हैं, जातिगत संघर्षों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने बहुत विलष्ट बना दिया है। राजनीति सदैव महत्वाकांक्षा के बल पर जातिगत समीकरण को नए—नए रूप तथा

कर रहा ह। आज जातिगत संघर्षों को बढ़ गए हैं, जातिगत संघर्षों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने बहुत विलिए बना दिया है। राजनीति सदैव महत्वाकांक्षा के बल पर जातिगत समीकरण को नए-नए रूप तथा



आयाम देती आई है और सदैव समाज में वर्ग विभेद आर्थिक विभेद कर के अपना उल्लं सीधा करना मुख्य ध्येय बन चुका है। उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग सदैव सत्ता के संघर्ष के लिए न सिर्फ एक दूसरे का परस्पर विरोध करते हैं बल्कि शासन प्रशासन के विरोध में भी सदैव खड़े पाए गए हैं। सत्ता पाने की लालसा में जातीय संघर्ष, नक्सलवाद तेजी से समाज में पनपता जा रहा है। भारतीय परिपेक्ष में आज सिर्फ जाती ही नहीं धार्मिक महत्वाकांक्षा देश के समाज के समक्ष चुनौती बन गया है। भारत में हिंदू-मुस्लिम जाति संघर्ष ऐतिहासिक तौर पर अपनी जड़ें जमां चुका है, वर्तमान

म मादर आर मास्जिद क झंगड़ दश
में अशांत माहौल पैदा करने का एक
बड़ा सबक बन चुके हैं। और यही
वर्ग विभेद संघर्ष भारतीय आर्थिक
विकास के बीच एक बड़ा अवरोध
बनकर खड़ा है। पश्चिमी विद्वान भी

कहते हैं कि भारत के राष्ट्र के रूप में विकसित होने में जाति एवं धर्म ही आक्रोश है दूसरी तरफ अल्यसंख्यक समुदाय इसलिए डरा हुआ है कि कहीं उसकी अपनी अस्मिता एवं पहचान अस्तित्व हीन ना हो जाए। स्वतंत्रता के बाद से यह विकास की मूल धारणा थी कि पंचवर्षीय योजनाओं में वर्ग विहीन समाज में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष तरीके से समाज का आर्थिक विकास तथा रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। पर स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वर्ग विभेद भाषाई विवाद ने अभी भी आर्थिक विकास में कई बाधाएं उत्पन्न की है।

से जुड़ता है तो गरीबी, भूखमरी, नक्सलवाद जैसे संकट अस्तित्व हीन हो जाएंगे और ऐसी समस्या धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आवश्यकता यह है कि हमें राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानकर इस पर अमल करना होगा। फिर चाहे वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो या समावेशी राष्ट्रवाद हो। समाज की मुख्यधारा में राष्ट्रवाद को एक प्रमुख अस्त्र बनाकर देश की प्रगति में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत में आजादी के 75 वर्ष बाद भी ब्रिटिश हुकूमत की तरह गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, नक्सलवाद, आतंकवाद,

सबसे बड़ी बाधाएं हैं जिन्हें दूर करना सर्वाधिक कठिन कार्य है क्योंकि इसकी जड़ें भारत के स्वतंत्रता के पूर्व से देश में गहराई लिए हुए हैं। जातीय वर्ग संघर्ष और भाषाई विवाद ऐसा मुद्दा रहा है जिससे लगभग एक शताब्दी तक भारत आक्रांत रहा है। आजादी के बाद से ही भाषा विवाद को लेकर कई आंदोलन हुए खासकर दक्षिण भारत राज्यों द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने एवं देश पर हिंदी थोपे जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शनों को प्रोत्साहित किया गया। आज भी विभिन्न राज्यों में भाषाई

मराठा आरक्षण की आग

जब आरक्षण के प्रावधान संविधान में जोड़े गए तब वे न तो जाति लेकर थे न ही ध्यार्थिक पिछड़ेपन लेकर। तब सामाजिक और आरक्षणिक रूप से कमज़ोर वर्ग को आरक्षण देने की बात थी। तब यह ना गया कि आर्थिक पिछड़ापन करना सरकार का फर्ज है ताकि लिए आरक्षण को गरीबी दूर करने के लिए हथियार नहीं समझा गया था। द में वोट बैंक की राजनीति के लिए आरक्षण ऐसा अमृत का प्याला गया जिसे छूकर हर जाति अपनी नस्याओं को दूर करना चाहती थी। इस देश ने आरक्षण आंदोलन हिंसक दौर को एक बार नहीं ई बार देखा है। आरक्षण की आग समाज पहले भी कई बार झुलस का है। चाहे वह हरियाणा के टों का आंदोलन हो, गुजरात में टेल समुदाय का आंदोलन हो, जस्थान के गुर्जर समुदाय का आंदोलन हो, आंध्र प्रदेश के कापू नदियां का आंदोलन हो। आंदोलन

लोगों की जानें जाती हैं बल्कि राष्ट्र की सम्पत्ति को भी नुकसान पहुंचता है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन एक बार फिर हिंसक हो गया है। राज्य में अलग-अलग जगहों पर दो विधायिकों के और एक मंत्री के घर को आग लगा दी गई। दर्जनों वाहन फूँक डाले गए। राकांपा का कार्यालय जला दिया है। बीड़ समेत कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। आरक्षण की मांग को लेकर लोग आत्महत्याएं करने लगे हैं और विधायक और सांसद इस्तीफे दे रहे हैं। आंदोलन के हिंसक होने से राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार की मुसीबत और बढ़ गई है। मुख्यमंत्री शिंदे मराठा हैं। उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणीस और राकांपा दिग्गज शरद पवार भी मराठा हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे अनिश्चितकालीन अन्तर्णाल पापा त्रैते द्वारा हैं और उनकी पर उत्तर आए हैं। महाराष्ट्र में करीब 32 साल पहले मराठा आरक्षण को लेकर पहली बार आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन मराठी लेबर यूनियन के नेता अन्नासाहब पाटिल की अगुवाई में हुआ था। उसके बाद से मराठा आरक्षण का मुद्दा यहां की राजनीति का हिस्सा बन गया। महाराष्ट्र में ज्यादातर समय मराठी मुख्यमंत्रियों ने ही सरकार चलाई है लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल सका। जबकि 2014 के चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लेकर आए थे लेकिन 2014 में कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन की सरकार चुनाव हार गई और बीजेपी-शिवसेना की सरकार में देवेन्द्र फडणीस मुख्यमंत्री बने। फडणीस की सरकार में मराठा आरक्षण को लेकर एमजी गायकवाड़ की अध्यक्षता में पिंडिता तर्म शामिल

पर फड़णवीस सरकार ने सोशल इंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लब एकट के विशेष प्रावधानों के तह मराठाओं को आरक्षण दिया। फड़णवीस की सरकार में मराठाओं को 16 प्रतिशत आरक्षण मिल लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे ब करते हुए सरकारी नौकरियों में प्रतिशत और शैक्षणिक संस्थानों 12 प्रतिशत कर दिया। मई 200 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। दरअसल, मराठा समुदाय का कहना है कि सितंबर 1948 त निजाम का शासन खत्म होने त मराठाओं को कुनबी माना जाता और ये ओबीसी थे, इसलिए फिर इन्हें कुनबी जाति का दर्जा दिया जाए और ओबीसी में शामिल किया जाए। यह लड़ाई लंबे समय चल रही है लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य सरकार ने ऐसा कदम न उठाया हो। महाराष्ट्र सरकार मराठाओं को आरक्षण देने की प कोशिश में है लेकिन सुप्रीम क

रखी है, वह सरकार के लिए रोड़ा बनी हुई है। महाराष्ट्र में लगभग 30 फीसदी मराठा समुदाय की आबादी है। सामाजिक और आर्थिक रूप से यह समुदाय काफी पिछड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा संस्थानों और नौकरियों में मराठा समुदाय का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) की साल 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में करीब 37.28 फीसदी मराठा गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहते हैं। इस समुदाय का 76 फीसदी समुदाय कृषि और कृषि श्रम पर निर्भर करता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से 2013 से 2018 तक 2152 मराठा समुदाय के किसानों ने आत्महत्या की। इस खुदकुशी की मुख्य वजह कर्ज और फसल की बर्बादी थी। मराठा आरक्षण आंदोलन के पीछे भी कई कारण हैं। एक मुद्दा आरक्षित वर्गों व जनजिंहें के क्षमियतेगता का है। इससे युवाओं में नाराजगी बढ़ी है। उन्हें लगता है कि 90 फीसदी अंक लाकर भी उनका दाखिला अच्छे संस्थानों में नहीं होता, जबकि अपेक्षाकृत काफी कम अंक लाकर आरक्षण के बूते पर दूसरी जातियां लाभ उठाती हैं। अब यह पड़ताल करने का समय आ गया है कि आज हमारा समाज वास्तव में कितना पिछड़ा है और उसे आरक्षण की कितनी जरूरत है। अगर हम जाति युद्ध से बचना चाहते हैं तो हमारे नीति निर्माताओं को ठोस कदम उठाना होगा। एक ऐसा राष्ट्रीय आयोग बनाना चाहिए जो तमाम मुद्दों को परखे और आरक्षण उन्हें ही दिया जाए। जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत हो। आरक्षण का लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी ले चुके लोगों को इससे विचित किया जाना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। यह काम वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए न होकर ईसन्तरामी से किया जाना

